भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि
क्रम से रखा जा सके।
Separate page is given to this Part in order that it may be kept separately as
a Compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1978

का.नि.आ. 2006(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित कीटनाशियों को अनुसूची में सम्मिलित करती है, अर्थात्:—

1. एन्टोसाइट सिन
2. टट्टासाइक्लीन
3. [illegible]

INDIA: EXTRAORDINARY